20/11/24 पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद पत्र के अदम पैरवी
आज तारीख में खारिज होने के कारण
दरख्वास्त प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य
नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र अंतर्गत अस्थाई
निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। प्रार्थना पत्र को मिसलशुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो व दर्ज नम्बर से कम हो।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 11:55:27 IST
Reason: SelfAttested